















नावालिक प्रेसी के साथ

फरार विवाहिता को पुलिस ने किया बरामद

मरकच्चों (कोडरमा)। थाना क्षेत्र

अंतर्गत मरकच्चों के उत्तरी पंचायत

स्थित ग्राम धुक्काडी हे २० मई २०२४

से यांग विवाहिता को पुलिस ने

उसके नावालिक प्रेसी के साथ

जयनगर थाना क्षेत्र से मंगलवार को

सुकुशल बरामद कर लिया है। वहीं

विवाहिता तीन बच्चों की मां है जबकि

उसका प्रेसी नावालिग बताया जा रहा

है। जात हो कि १४ मई की विवाहिता

के अपने सुसुराल से एकाएक गायब

होने के बाद उसके पाँच उपर्युक्त शब्द

ने मरकच्चों थाना में आवेदन देकर

सन्दर्भ कर्तव्य हुए पुलिस से अपनी

पत्नी की खोजबीन की गुहार लगायी

थी। दिये गए आवेदन में उसने बताया

था कि १४ मई की दोपहर बिना बताए

घर से जैवरात और पैसा लेकर

निकल गई थी, कानूनी खोजबीन के

बाद उसका पता नहीं चल पाया।

आवेदन के आलोक में पुलिस ने

सनहा दर्ज करते हुए ग्राम विवाहिता

की खोजबीन शुरू की। वहीं थाना

प्रभारी सीराम शर्मा ने बताया कि

खोजबीन के क्रम में टेकिल सेल की

मदद ली गई। वहीं प्रेसी युगल की

जयनगर थाना क्षेत्र में होने की सूचना

प्रिया, जिसके बाद पुलिस ने दोनों का

सुकुशल बरामद कर लिया। जिसके

बाद आगे की करवाई की जा रही है।

# करंट लगने से बुझ गया घर का इकलौता विराग, पसरा मातम, रांची-पटना रोड जाम



खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। थाना क्षेत्र के पूर्णानगर स्थित आंगनबाड़ी केंद्र में करंट लगने से एक बच्चे की मौत हो गयी। वहीं युवक ने पहचान ४ वर्षीय गुणा व अन्य भी पहुंचे और मामले की जांच की। डीएसडब्ल्यूओ ने बताया कि जांच की जा रही है वोपी पाए जाने पर योग्यता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत से नाराज ग्रामीणों ने लापरवाही के लिए संविका व सहायिका के खिलाफ

## देखियों के खिलाफ होगी कार्रवाई

इसकी सूचना कोडरमा पुलिस को मिलने के बाद कोडरमा थाना प्रभारी सुनीत कुमार दल-बल के साथ पहुंचे और शब्द में बोल कर ने कहा कि वह पहचान ४ वर्षीय गुणा व अन्य भी पहुंचे और मामले की जांच की। डीएसडब्ल्यूओ ने बताया कि जांच की जा रही है वोपी पाए जाने पर योग्यता के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

कार्रवाई की मांग की। योपी पर देखियों के खिलाफ कार्रवाई की पहुंची डीएसडब्ल्यूओ शिप्रा सिन्हा ने कहा कि जांच की जा रही है वोपी पाए जाएगी। वहीं मृत बच्चे के शव के पटना मुख्य मार्ग को लोगों ने जाम कर दिया, व मुआवजे की मांग कर रहे हैं।

## इकलौता पुत्र था गोल

दिनेश दास की पांच बेटियां हैं और इकलौता बेटा गोल् था। वहीं परिजनों का कहना है कि पांच में भी ऐसी घटना घट चुकी है, इसके बाद वह नीं बरती गयी। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि मृतक की मां को सेविका बनाया जाए, हादसे में घर का इकलौता चिराग बुझ गया।

देखियों के खिलाफ होगी कार्रवाई की जाएगी।

## आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में दौड़ा करंट

जानकारी के अनुसार आंगनबाड़ी केंद्र के गेट के पास से बिजली का ताता गया हुआ है। तार कटा रहा है। केंद्र के कारण आंगनबाड़ी केंद्र के गेट में करंट आ गया। इसकी चोपट में आने से बच्चे की मौत हो गयी।

हालांकि घटना के बाद आनन्द-फानन में बच्चे को सदर अस्पताल ले जाया गया, मगर डॉ. द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया।

शादी का झांसा देकर नावालिग को भगा ले जाने के आरोपी को तीन वर्ष की सश्रम कारावास

## खबर मन्त्र संवाददाता

कोडरमा। नावालिग लड़की को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं संत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने मंगलवार को आरोपी मेर. रिजियों की पिता खुर्मांद आलम बड़ेराटांड थाना कोडरमा निवासी को ३६३ आंगनबाड़ी के तहत दोपी पाते हुए तीन वर्ष सत्रम कारावास को सजा सुनाई। साथ ही न्यायालय ने बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्तसजा भुगतानी होगी। मामला वर्ष २०२२ का है।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

मामला वर्ष २०२२ का है।

- अपर जिला एवं संत्र न्यायाधीश हिंदूय अजय कुमार बिंब की अदालत ने सुनाई सजा।
- बीस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया।
- जुर्माना की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्तसजा भुगतानी होगी।

देखते हुए न्यायालय से अधियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया। वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता कुमार रोशन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया। वहीं दौरान सभी गवाहों और साथबंदों का अवलोकन करने के उपरांत अधियुक्त को दोपी पाते हुए सजा देने की अपील की जाएगी।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के अवेदन पर कोडरमा थाना कांड संख्या ४५/२२ एवं एसटी ६१/२२ दर्ज किया गया था। वहीं अधियोजन का संचालक लोक अधियोजक पौष्टि एंजेलिना वारला ने किया गया।

लड़की के पिता के







